

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462 004

क्रमांक सी-6-7/96/3/एक,

भोपाल, दिनांक 23 मई, 1996.

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :— जिलों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकारों पर प्रत्यायोजन.

राज्य शासन एतद्वारा कलेक्टरों को उनके जिले में पदस्थ सभी विभागों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (पुलिस कर्मियों को छोड़कर) को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत निलम्बित करने एवं ऐसे कर्मचारियों पर उपरोक्त नियमों के नियम 10 के अन्तर्गत लघु शास्ति अधिरोपित करने के अधिकार प्रत्यायोजित करता है.

2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(शरद चन्द्र पण्ड्या)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पु. क्रमांक सी-6-7/96/3/एक,

भोपाल, दिनांक 23 मई, 1996.

प्रतिलिपि :—

1. शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश.
2. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल,
महानिदेशन प्रशासन अकादमी, म. प्र. भोपाल.
3. सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल,
राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, राजभवन भोपाल.

भोपाल, दिनांक 23 मई, 1996

क्र. सी.-6-7-96-3-एक.—(1) राज्य शासन, एतद्वारा, कलेक्टरों को उनके जिले में पदस्थ सभी विभागों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (पुलिस कर्मियों को छोड़कर) को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अंतर्गत निलंबित करने एवं ऐसे कर्मचारियों पर उपरोक्त नियमों के नियम 10 के अन्तर्गत लघु शास्ति अधिरोपित करने के अधिकार प्रत्यायोजित करता है.

(2) यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शरद चन्द्र पण्डित, अपर सचिव.